बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय : राज्य के तीनों औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों का पुनर्गठन।

राज्य के औद्योगिकरण एवं उद्योगों के गुणात्मक विकास की दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 के अन्तर्गत छः औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, यथा, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/राँची/आदित्यपुर एवं बोकारो की स्थापना की थी। राज्य के विभाजन के उपरांत उत्तरवर्ती बिहार में तीन प्राधिकार, यथा, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,पटना, उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा अवस्थित है।

2. इन तीन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के पृथक स्वरूप और इनके कार्यों के आलोक में भविष्य में इन्हें पुनर्गठित कर किस प्रकार इनसे बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए की समीक्षा सरकार द्वारा उद्योग विभाग में गठित समिति द्वारा की गई। समिति में प्राधिकारों के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि, आय के मुख्य श्रोत, प्राप्त राजस्व, आदि पर विचार किया गया। तदोपरांत मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति ने विचार कर अपनी अनुशंसाएँ दीं।

3. उद्योग विभाग में गठित समिति एवं मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति द्वारा की गई अनुशंसाओ पर भलिभाँति विचार करते हुए राज्य सरकार ने तीनों प्राधिकारों का विलयन एवं एकीकरण करते हुए एवं इस एकीकृत प्राधिकार को इसके मूल उद्धेश्य यथा, उद्योग के लिए आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए इसे इस संकल्प के निगर्मन की तिथि से - *'बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार''* के नाम से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

4. पुनर्गठित *बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार* का ढ़ांचा, उसके क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्राधिकार के अन्तर्गत रखे जाने वाले पदों की संख्या परिशिष्ट-I में अंकित है। इस प्राधिकार का मुख्यालय पटना में रहेगा एवं इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा-मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं दरभंगा होंगे। पटना का क्षेत्रीय कार्यालय अलग से नहीं होकर मुख्यालय पटना में ही सन्निहित होगा। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन शाखा कार्यालयों की विवरणी परिशिष्ट-II में

है। इन तीनों प्राधिकारों यथा पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना, उत्तर बि. औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा का *"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार"* में विलयन एवं एकीकरण के फलस्वरूप इनकी परिसम्पतियाँ/दायित्व/ पावती/देनदारियाँ/बैंक खाता आदि स्वत: *"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार"* में स्थानांतरित मानी जाएगी।

5. जहाँतक वर्तमान प्राधिकारों के कर्मियों के सेवा शर्त का प्रश्न है, इस संबंध में सभी कर्मियों का एक सेवा संवर्ग रहेगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप जो पद समाप्त हो जायेंगे उनके पदधारक की छंटनी नहीं होगी बल्कि वे अपने पद पर सेवा निवृत्ति/मृत्यु/पदत्याग/सेवा मुक्ति तक बने रहेंगे एवं पद रिक्त होने पर वह पद स्वत: समाप्त हो जाएँगे। प्राधिकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मियों के कार्यकलाप(performance) पर विचार करने के उपरान्त उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार का निर्णय प्राधिकार के निदेशक पर्षद की अनुमति से लिया जाएगा; लेकिन प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्राधिकार में भरे जाने वाले पदों की प्रक्रिया परिशिष्ट-III में अंकित है। एकीकृत प्राधिकार के पुनर्गठन के कारण पदों की संख्या 298 से घटकर 143 हो जाएगी(परिशिष्ट III)। जिन पदों को प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नहीं भरना है उन पदों को भरने की प्रक्रिया एवं नियम वही होगे जो राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए प्रभावी है। अनुबंध पर भरे जाने वाले पदों के पदधारक को वेतनमान नहीं बल्कि मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। नियत पारिश्रमिक का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा।

6. प्राधिकार के प्रबंध निदेशक की तकनीकी एवं वित्तीय शक्तियां लोक निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के बराबर होगीं। कोई भी परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्राधिकार को कार्यान्वयन के लिए दिया जाता है, उसके परियोजना लागत का 5 प्रतिशत राशि प्राधिकार को प्रशासनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। प्राधिकार के आंचलिक पदाधिकारियों को ऋण वसूली के लिए "पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट" के तहत सभी आवश्यक शक्तियां प्रदत्त रहेंगी। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्रों में प्राधिकार के निदेशक पर्षद द्वारा यथा अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकार को ..... से ~~अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।~~

किए जा रहे आधारभूत संरचना
वर्तमान में उद्योग विभाग के विभिन्न निगमों द्वारा सम्पादित स्थानान्तरित कर दिया जाएगा
संबंधित परियोजनाओं को इस पुनर्गठित प्राधिकार को यथासंभव इसी प्राधिकार के
तथा भविष्य में भी आधारभूत संरचना संबंधित सभी परियोजनाएं यथासंभव
माध्यम से कराई जाएगी।

7. भूल नीतिगत बिन्दुओं पर लोक उद्यम ब्यूरो की सहमति के उपरांत प्राधिकार अपने स्तर से आवश्यक निर्णय लेकर इसे कार्यान्वित कर सकेगा।

8. प्राधिकार के अधीन एक 'कोर टेक्निकल ग्रुप' के रूप में अभियंत्रण शाखा होगा। प्राधिकार अपने अधिकांश कार्य कन्सलटेंट के माध्यम से कराएगा जो अनुबंध के आधार पर होगा। इन कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण, इस्टीमेट का सत्यापन आदि का कार्य ही प्राधिकार के अभियंत्रण शाखा द्वारा किया जाएगा। प्राधिकार 'टर्न की कन्सलटेंसी' के माध्यम से सुपरवीजन का कार्य भी कन्सलटेंट के माध्यम से करा सकेगी। स्थापना व्यय में कमी लाने के लिए प्राधिकार को यह शक्ति होगी कि वह कुछेक कार्य कान्ट्रेक्ट पर अन्य एजेंसियों से कराए, यथा, सुरक्षा का कार्य, सफाई का कार्य, एकाउन्ट प्रीपरेशन का कार्य, आदि।

9. इन तीनों प्राधिकार यथा, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना, उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा का *बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार* में विलयन एवं एकीकरण के फलस्वरूप तीनों प्राधिकार का निदेशक मण्डल स्वतः समाप्त हो जाएगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाए और सभी संबंधित प्राधिकारी को अवगत कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(अशोक कुमार)
सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक - 2538 पटना, दिनांक - 19.06.2003

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना- 800 007 को प्रकाशित संकल्प की पाँच सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाए। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सचिव,उद्योग विभाग,बिहार,पटना।